



**Dr. Virender Antil**  
(Principal DGC Gurugram)

## विद्यार्थियों के लिए दिशा - निर्देश

- 👉 महाविद्यालय पहचान-पत्र के बिना प्रवेश निषेध है।
- 👉 महाविद्यालय में मास्क लगाना अनिवार्य है।
- 👉 कॉलेज परिसर की दीवार फॉंदना गैर कानूनी है।
- 👉 कैंटीन से खाद्य सामग्री लेकर पार्क व कक्षा में खाना मना है।
- 👉 बिना बैग/पुस्तक लेकर महाविद्यालय में आना वर्जित है।
- 👉 कॉलेज परिसर में धूम्रपान करना अपराध है।
- 👉 सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई विद्यार्थी स्वयं करेंगे।
- 👉 डिग्री / मार्कशीट लेने का समय दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक है।  
अतः इससे पहले महाविद्यालय में प्रवेश की मनाही है।
- 👉 IGNOU/DISTANCE के विद्यार्थी केवल रविवार व छुट्टी के दिन ही कॉलेज आएँ।
- 👉 स्टील की रेलिंग/स्टेज पर बैठना सख्त मना है।
- 👉 विद्यार्थियों के लिए केवल दुपहिया वाहन लाने की अनुमति है।  
वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें
- 👉 यदि कोई विद्यार्थी असामाजिक तत्वों के संपर्क में पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- 👉 कॉलेज परिसर में अपशब्दों का प्रयोग वर्जित है।